रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94

REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 435] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 19, 1994/आश्विन 27, 1916
No. 435] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 1994/ASVINA 27, 1916

जल-मूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर 1994

सा.का.नि. 759(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कंडला पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

[फा.सं.पी.आर.-12016/45/94-पी.ई. I]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

अनुसूची

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 की धारा 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट का न्यासी मंडल एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :—

(1) ये विनियम कंडला पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन विनियम 1994 कहे जाएंगे ।

(2) विनियम 12 का विद्यमान उप विनियम (12) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

12. (i) यदि आरोप की सभी अथवा किन्हीं मदों से संबंधित निष्कर्षों को ध्यान में रखकर और जांच पड़ताल के दौरान पेश साक्ष्य के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी का यह मत हो कि विनियम 10 के खंड (iv) से (vii) की शास्तियों में से कोई भी शास्ति कर्मचारी पर लगाई जाए तो वह :—

(क) जांच पड़ताल अधिकारी के रिपोर्ट की प्रति और जब अनुशासनिक प्राधिकारी ही जांच पड़ताल अधिकारी नहीं हो तो जांच पड़ताल अधिकारी के निष्कर्षों सहित अपने निष्कर्षों के विवरण और साथ ही असहमति, यदि कोई हो तो, से संबंधित संक्षिप्त कारण कर्मचारी को प्रस्तुत करने होंगे; और

(ख) भारी शास्ति लगाने से पूर्व जैसा वह लिखित रूप में देना चाहे वैसा अभ्यावेदन उसे नोटिस प्राप्ति के 15 दिन अथवा जैसी उसे अनुमति दी जाए आगे की उस अवधि के भीतर प्रस्तुत करने को कहा जाएगा।

(ii) किसी मामले में यदि केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य हो तो अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपनी सिफारिश सहित जांच पड़ताल संबंधी अभिलेख केन्द्र सरकार को अग्रेषित किया जाए और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद ही शास्ति संबंधी आदेश जारी किए जाए ।

(3) विनियम 12 के उप विनियम (14) को निम्न-लिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :

(14) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश कर्मचारी को सूचित किए जाएं और यह आवश्यक नहीं है कि कर्मचारी को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लगाई जाने वाली प्रस्तावित शास्ति पर अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाए।

पाद टिप्पण :

मूल विनियम भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 29-2-1964 को सा.का.नि. 309 के अधीन प्रकाशित हो चुका है तथा सा.का.नि. संख्या 771(ई) दिनांक 21-9-92 तथा सा.का.नि. संख्या 641(ई) दिनांक 6-10-93 द्वारा संशोधित हुआ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 1994

G.S.R. 759(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124 read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees (Classification Control and Appeal) Amendment Regulations, 1994 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PR-12016/45/94-PE-I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

SCHEDULE

In exercise of powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (Section 38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby, make the following regulations namely :—

(1) These Regulations shall be called the Kandla Port Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 1994.

(2) The existing Sub-Regulation (12) of Regulations 12 shall be substituted by the following :—

12. (i) If the disciplinary authority, having regard to its finding on all or any of the articles of charge and on the basis of evidence adduced during the enquiry, is of the opinion that any of the penalties in Clause (iv) to (vii) of Regulation 10 should be imposed on the employee, it shall:—

(a) furnish to the employee a copy of the report of the Enquiry Officer and where a disciplinary authority is not the enquiry officer, a statement of its findings together with, brief reason for dis-agreement, if any, with the findings of the enquiry officer; and

(b) calling upon him to submit within 15 days of receipt of the notice or such further time, as may be allowed, such representation as he may wish to make in writing, before imposition of major penalty.

(ii) In case where it is necessary to obtain the prior approval of the Central Government, the record of the inquiry shall be forwarded by the disciplinary authority alongwith its recommendation to the Central Government and the order of penalty shall be passed after the approval if accorded by the Central Government.

3. Sub Regulation (14) of Regulation 12 shall be substituted by the following:—

(14) Orders passed by the disciplinary authority shall be communicated to the employee and it shall not be necessary to give the employee any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed by the disciplinary authority.

Foot Note .

The principal Regulation was published in the Gazette of India Extraordinary on 29-02-1964 under G.S.R. 309 and ammended vide G.S.R. No. 771(E) dated 21-9-1992 and G.S.R. 641(E) dated 6-10-1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995